"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 152] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 मई 2006—ज्येष्ठ 2, शक 1928

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-158/04/गृह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2006 कहलायेंगे.

(2) ये "राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है सरकार ;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए ली गई प्रतियोगी परीक्षा;

(घ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों में संलग्न अनुसूची;

(ङ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति में यथा विनिर्दिष्ट किया गया है;

(च) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(छ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा;

(ज) पिछडा वर्ग से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग;

(झ) सरकार से अभिप्रेत छत्तीसगढ सरकार;

(ञ) राज्य से अभिप्रेत छत्तीसगढ राज्य ;

(ट) राज्यपाल से अभिप्रेत छत्तीसगढ के राज्यपाल.

3. **विस्तार तथा लागू होना** -छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन**- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :-

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची - एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि**- सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उनसे संबंध्द वेतनमान अनुसूची - एक में अंतर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगें ।

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, स्थायी या अस्थायी आधार पर समय-समय में वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका** - (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों द्वारा की जाएगी, अर्थात् :-

(क) प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों तरीकों से सीधी भर्ती द्वारा

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा,

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जिन्हें इस निमित विनिर्दिष्ट किया गया है, मूल हैसियत में धारण करते हों।

(2) उप नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची - एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची - दो में दर्शाए गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में की किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भर्ती की किसी विशिष्ठ कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित तब भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके से भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित है तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग /कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा प्रशिक्षण विभाग की पूर्व सहमति से उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भरती के तरीकों से भिन्न ऐसे तरीकों को अपना सकेगी, जिन्हें वह इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(5) भर्ती करते समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे ।

7. **सेवा में नियुक्ति :-** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन किये जाने के बाद ही की जाएगी अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें:-** चयन लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना ही चाहिए, अर्थात् :-

(एक) आयु :- **(क)** चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी वर्ष की 1 जनवरी को अनुसूची - तीन के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो किन्तु उक्त अनुसूची के कालम (5) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा में नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी :-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो,38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो, छंटनी किया गया सरकारी कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप प्राप्त आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण. - पद "छंटनी किया गया सरकारी कर्मचारी " ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छह मास की कालावधि तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा किन्तु उसके परिणामस्वरूप आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण.- पद "भूतपूर्व सैनिक" ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो या अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया हो।

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवा निवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवामुक्त किया गया हो;
(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भर्ती किये गये हों, और जिन्हें
 (क) अल्पकालीन वचन बंध पूर्ण हो जाने पर,
 (ख) भर्ती की शर्तों को पूर्ण कर लेने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जो उनकी संविदा के पूर्ण होने पर सेवामुक्त किये गये हों. सैनिक तथा असैनिक जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित है जिन्हें उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवामुक्त किया गया हो।
(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास के अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो।
(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।
(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं हैं।
(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लगने, घाव आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(घ) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

(ड.) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारक हो, उच्चतर आयु सीमाओं में 2 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन किसी दंपत्ति में से उच्च जाति के पुरस्कृत पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(छ) उन खिलाडी के अभ्यर्थियों के सबंध में जिन्होंने "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त किया हो, उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगमों/बोर्डों के कर्मचारी हो, उच्चतर आयु सीमा में 38 वर्ष होगी।

(झ) होमगार्ड के स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालन्टियर होमगार्डस) तथा नान कमीशंड अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए, 8 वर्ष तक की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी. - ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्तं नियम 8 (ग) (एक) और (दो) तथा (ज) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/ चयन के लिए ग्राह्य किया गया हो उस स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा के पूर्व या उसके पश्चात सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या उसकी सेवा या पद से छटनी कर दी जाये तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेगें। किसी भी अन्य दशा में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में बैठने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।

(ञ) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे ।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं.** - अभ्यर्थियों के पास अनुसूची तीन में दर्शाए गये अनुसार सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए।

(3) **फीस.**- उसे आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.** - अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को आयोग द्वारा उसे परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिए निरर्हकारी माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.**- परीक्षा/चयन में प्रवेश हेतु ग्राह्य किये जाने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा. और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण- पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

11 (क) **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती** -

(1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसें अन्तरालों से ली जावेगी जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से, समय समय पर अवधारित करें।

(2)आयोग द्वारा परीक्षा का संचालन ऐसे आदेशों के अनुसार किया जायेगा, जिन्हें सरकार समय-समय पर आयोग के परामर्श से जारी करें।

(3)सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्त पदों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत स्थान उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे जो क्रमशः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्य हो।

(4)इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हो, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो।

(5)अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए चयन किया हो यथास्थिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों अभ्यर्थियों के लिए उपनियम (3) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6)जहां कहीं भी सीधी भर्ती द्वारा रिक्तियों को भरे जाने हेतु कतिपय कालावधि का अनुभव अवधारित किया गया हो तथा आयोग या सक्षम प्राधिकारी की राय में ऐसा पाया जाता है कि आरक्षित पदों पर भरती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो ऐसे मामलों में आयोग या सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के मामलें में अनुभव की शर्ते शिथिल कर सकेगा।

11. (ख) साक्षात्कार द्वारा -

(1) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी आयोग के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करें।

(2) सेवा के लिए अभ्यर्थी का चयन आयोग द्वारा उनके साक्षात्कर के पश्चात् किया जायेगा।

(3) सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत स्थान, उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाऐगे जो क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्य हो।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यार्थियों की जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हो, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हो, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान कुछ भी क्यों न हों।

(5) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए चयन किया हो यथास्थिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उपनियम (3) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) जहां कही भी सीधी भर्ती द्वारा रिक्तियों को भरे जाने हेतु कतिपय कालावधि का अनुभव अवधारित किया गया हो तथा आयोग या सक्षम प्राधिकारी की राय में ऐसा पाया जाता है कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं हैं तो ऐसे मामलों में आयोग या सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के मामले में अनुभव की शर्ते शिथिल कर सकेगा।

12. आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची :- (1) आयोग ऐसे अभ्यर्थियों की, जो ऐसे स्तर से जैसा कि आयोग अवधारित करें, अर्ह हों, तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थियों की जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित न हों, किन्तु जिन्हे आयोग ने प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया हों, गुणागुण (मेरिट) के क्रम से बनाई गई एक सूची सरकार को अग्रेषित करेगा. सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अभ्यर्थियों की सूची में से उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हो।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि सरकार का ऐसी,जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) चयन सूची आयोग द्वारा उसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी। शासन के निवेदन पर आयोग इस कालावधि को बढ़ा सकेगा ।

13- पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :- (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें अनुसुची चार में वर्णित सदस्य होंगे. समिति में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होगा । नहीं होने की स्थिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का रखा जायेगा और समिति की सदस्य संख्या उस सीमा तक बढ़ायी जायेगी ।

(2) समिति सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक अंतरालों में अपनी बैठक करेगी।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान लागू होंगे।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने के लिये प्रक्रिया उपनियम (3) में उल्लेखित नियम के तथा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर, जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

14 **पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें** :- (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उसने दर्शाई सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) उस पद पर जिससे पदोन्नति की जाना है, जैसा कि अनुसूची चार के कालम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हो।

स्पष्टीकरण :-पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की नीति संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है। प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना उस कैलेंडर वर्ष से की जावयेगी, जिसमें लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा का भाग/पद में वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (क) चयन के लिये विचारण क्षेत्र योग्यता सह-वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियरटी) के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या 1, 2 एवं 3 रिक्त पदों के लिये क्रमशः 5, 8, एवं 10 रहेगी और इसी प्रकार आगे गणना के लिये फार्मूला यह रहेगा कि प्रत्याशित रिक्तियों को दुगूना कर उसमें 4 जोड़ा जावे।

(ख) जब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोक सेवक उपर दर्शाये गये अनुसार विचारण क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो तो रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक विचारण क्षेत्र बढाया जा सकेगा और इस विस्तारित विचारण क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोकसेवकों के नामों पर आरक्षित पदों को बढने के लिए विचार किया जायेगा।

(ग) उपनियम (2) (क) प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोकसेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के जो विचारण क्षेत्र में हो नामों पर विचार किया जायेगा।

(घ) तृतीय श्रेणी के पद से द्वितीय श्रेणी के पद पर तथा द्वितीय श्रेणी के पद से द्वितीय श्रेणी के पद पर तथा द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड ज्येष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) तथा प्रथम श्रेणी के पद से प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड योग्यता सह ज्येष्ठता (मेरिट कम सीनियरिटी) होगा।

(3)(क) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियरिटी कम फिटनेस) अथवा जिसमें पदोन्नति अनुपयुक्त व्यक्ति को छोडकर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो वहां सभी वर्गों के लिए कोई भी विचारण क्षेत्र नहीं होगा। केवल उतनी ही संख्या में लोकसेवकों के मामलों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा जो प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन वि मान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(ख) उप नियम (3) (क) का प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए दो लोकसेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोकसेवको की संख्या के 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के जो विचारण क्षेत्र में हो नामों पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान पदोन्नति के संबंध में लागू होंगे।

(6) यदि संचालक के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो संचालक का पद निम्नलिखित अर्हता धारण करने वाले अन्य विभागों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा :-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष संस्था से रसायन शास्त्र/भौतिक शास्त्र / प्राणी विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान में एम.एस.सी. की उपाधि और उपरोक्त विषयों में से किसी एक विषय में पी.एच.डी की उपाधि।

(ख) विश्लेषण की आधुनिक पद्धतियों में प्रशिक्षण।

(ग) न्यायालयिक विज्ञान, या अन्य प्रयोगशाला में कार्य करने का लगभग 15 वर्ष का अनुभव तथा उपरोक्त विषयों में शोध कार्य की ऐसी योग्यता रखता हो जिसके साक्ष्य में प्रकाशित शोध पत्र/पुस्तके हों।

वांछनीय :- न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण कार्य का अनुभव।

15. **उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना** - (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर नियम 14 में विहित शर्तो को पूरा करते हो तथा जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानांतरण हेतु उपयुक्त ठहराये गये हो। यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी। उक्त सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए भी तैयार की जाएगी।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची छत्तीसगढ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार तैयार किया जायेगा।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची को प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित किया जाएगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित करना प्रस्तावित हो, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण, के संबंध में अपने कारणों को अभिलिखित करेगी।

16. **आयोग से परामर्श** :- विभागीय पदोन्नति समिति की जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की गई है, सिफारिशों के बारे में यह समझा जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के उपखंड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने की अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग से पृथक् रूप से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

17. **चयन सूची** :- (1) आयोग शासन से प्राप्त हुए अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि उसमें वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो उसे अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग सरकार से प्राप्त सूची मे कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में सरकार को सूचित करेगा तथा सरकार उस पर यदि कोई मत प्रकट करे तो

उस पर ध्यान देते हुए ऐसे संशोधनों सहित यदि कोई हो जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची सेवा के सदस्यों की अनुसूची चार के कॉलम (4) में उल्लेखित पद पर अनुसूची चार के कॉलम 2 पर उल्लेखित पद से पदोन्नत करने के लिए प्रवर सूची होगी।

(4) प्रवर सूची सामान्यतः तब तक लागू रहेगी जब तक कि -नियम 15 के उपनियम (3) के अनुसार उसका पुनः पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण न किया जाये , किंतु इस सूची की वैधता इसके बनाने की तारीख से 18 महिने की अवधि के बाद नहीं बढ़ाई जा सकेगी।

परंतु प्रवर सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति को ओर से कर्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में,शासन के कहने पर प्रवर सूची का विशेष रूप पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे तो, ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :- (1) सेवा संवर्ग (कॉडर) के अंतर्गत आने वाले पदों पर चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की नियुक्तियां उसी क्रम से की जायेगी जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

परंतु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां उस व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलत न हो या जिसका नाम चयन सूची में क्रम में ठीक आगे न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि सरकार का यह समाधान हो जाए कि रिक्ति के तीन मास से अधिक समय तक चालू रहने की संभावना नहीं है।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलत हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक चयन सूची में उनका नाम सम्मिलत किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ गई हो, जो सरकार की राय में ऐसी हों, जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त हो गया हो।

19. परिवीक्षा :- सेवा में सींधी भर्ती किए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

20. निर्वचन :- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा , जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

21. शिथिलीकरण : - इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर यह नियम लागू होते हों, राज्यपाल की ऐसी रीति में कार्यवाही करने की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, सीमित या कम करती हो।

परन्तु किसी मामले को ऐसी रीति में नहीं निपटाया जायेगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

22. व्यावृत्ति : इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किएं गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तो को प्रभावित नहीं करेगी।

23. निरसन तथा व्यावृत्ति – मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1993 (समसंख्यक अधिसूचना क्र 2 (ए)-201-82-बी(4) दो दिनांक 19 नवंबर, 1993) छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में तथा वे समस्त नियम एवं संकल्प जो इन नियमों के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व प्रवृत थे इन नियमों के अंतर्गत् आने वाले विषयों के संबंध मे, एतद्द्वारा, निरसित किए जाते है।

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. एस. रे, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2006

क्रमांक एफ 3-158/04/गृह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. एस. रे, अपर मुख्य सचिव.

अनुसूची - एक
(नियम 4 तथा नियम 5 देखिये)
छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवाभर्ती नियम

अ.क्रं	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	संचालक	01	प्रथम वर्ग	रू. 14,300-400-18,300/-	
2.	संयुक्त संचालक	02	प्रथम वर्ग	रू. 12,000-375-16,500/-	
3.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव, भौतिकी, रसायन)	04	प्रथम वर्ग	रू. 10,000-325-15,200/-	
4.	वैज्ञानिक अधिकारी (जीव, भौतिक, रसायन, प्रदर्श, स्टोर, लायब्रेरी, फोटोग्राफी)	12	द्वितीय वर्ग	रू. 8,000-275-13,500/-	

अनुसूची - दो
(नियम 6 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा की नियम - 6 (क) के अनुसार	सेवा के सदस्यो पदोन्नित द्वारा, (नियम 6 (ख) के अनुसार	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (नियम 6(ख) के अनुसार	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
गृह (पुलिस) विभाग	छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा	1. संचालक	-	100 प्रतिशत	यदि विभागीय पदोन्नति समिति, पदोन्नति के लिए किसी विभागीय अधिकारी को उपयुक्त नहीं पाती है तो पद अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाए नियम 14 क के अंतर्गत	• सीधी भर्ती चयन द्वारा की जावेगी। • संयुक्त संचालक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान) के पद हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं वैज्ञानिक अधिकारी को कम से कम तीन वर्ष का इसी पद का राज्य अथवा क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में विश्लेषणात्मक परीक्षण कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। • संयुक्त संचालक के पद हेतु समस्त संभागो के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों को ज्येष्ठता के अनुसार समान रूप से विचारण क्षेत्र में लिया जावेगा।
		2. संयुक्त संचालक - 2	-	100 प्रतिशत	-	
		3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी - 4	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-	
		4. वैज्ञानिक अधिकारी - 12	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत	-	

अनुसूची - तीन

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
गृह (पुलिस) विभाग	छत्तीसगढ़ न्यायालयिक प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)	25 वर्ष	38 वर्ष	**अनिवार्य** - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष किसी संस्था से प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जैव रसायन शास्त्र, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, भौतिकी मानव विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान (न्यायालयिक जीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ) में कम से कम द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी. उपाधि **अनुभव** - न्यायालयिक विज्ञान या किसी अन्य समान प्रयोगशाला में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव **वांछनीय** - (1) उपरोक्त विषय में से किसी एक विषय में शोध कार्य करने की ऐसी योग्यता रखता हो जिसके साक्ष्य में प्रकाशित शोध पत्र / पुस्तकें हो. (2) उपरोक्त विषयों में से किसी एक विषय में पी.एच.डी. की उपाधि	
		वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन)	25 वर्ष	38 वर्ष	**अनिवार्य** - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष किसी संस्था से रसायन शास्त्र या न्यायालयिक विज्ञान (न्यायालयिक रसायन शास्त्र, अथवा न्यायालयिक विष विज्ञान में विशेषता के साथ) में कम से कम द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी. उपाधि	

					अनुभव- किसी न्यायालयिक विज्ञान या किसी अन्य समान प्रयोगशाला में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव **वांछनीय** - (1) उपरोक्त विषय में से किसी एक विषय में शोध कार्य करने की ऐसी योग्यता रखता हो जिसके साक्ष्य में प्रकाशित शोधपत्र/पुस्तके हो. (2) उपरोक्त विषयों में से किसी एक विषय में पी.एच.डी. की उपाधि.	
		वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी)	25 वर्ष	38 वर्ष	**अनिवार्य** :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष किसी संस्था से भौतिक शास्त्र, इलेक्ट्रानिक्स, या न्यायालयिक विज्ञान (न्यायालयिक भौतिक शास्त्र, अथवा न्यायालयिक प्रक्षेपिकी में विशेषज्ञता के साथ) कम से कम द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी. उपाधि **अनुभव** - किसी न्यायालयिक विज्ञान या किसी अन्य समान प्रयोगशाला में कार्य करने का 5 वष्र का अनुभव **वांछनीय** :- (1) उपरोक्त विषय में से किसी एक विषय में शोध कार्य करने की ऐसी योग्यता रखता हो जिसके साक्ष्य में प्रकाशित शोधपत्र/पुस्तकें हो. (2) उपरोक्त विषयों में से किसी एक विषय में पी.एच.डी. की उपाधि	
		वैज्ञानिक अधिकारी (जीव)	21 वर्ष	33 वर्ष	**बायोलाजी शाखा** **अनिवार्य** - (1) वनस्पति विज्ञान या प्राणीविज्ञान या जैव प्रौद्योगिक या जैव रसायन या माइक्रोबायोलाजी या मानव शास्त्र विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान (न्यायालयिक जीव विज्ञान / न्यायालयिक सीरम विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ) में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी. उपाधि ।	

					(2) वैज्ञानिक शोध का दो वर्ष का अनुभव अथवा बी.एस.सी. सहित राज्य अथवा क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला की बॉयोलॉजी शाखा में कार्य का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव	
		वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी)	21 वर्ष	33 वर्ष	**भौतिक शाखा :-** **अनिवार्य** -(1) भौतिक शास्त्र या इलेक्ट्रानिक्स शास्त्र या न्यायालयिक विज्ञान, न्यायालयिक भौतिक विज्ञान / न्यायालयिक प्रक्षेपिका में विशेषज्ञता के साथ) में द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी. उपाधि तथा बी.एस.सी. में रसायन विज्ञान तथा भौतिक शास्त्र विषय होना अनिवार्य । (2) वैज्ञानिक शोध में 2 वर्ष का अनुभव अथवा बी.एस.सी. सहित राज्य अथवा क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की फिजिक्स/बैलिस्टिक शाखा में में कार्य का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव	
		वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन)	21 वर्ष	33 वर्ष	**रसायन शाखा :** **अनिवार्य** -(1) रसायन शास्त्र विज्ञान या न्यायालयिक विज्ञान (न्यायालयिक रसायन / विष विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ) में कम से कम द्वितीय श्रेणी में एम.एस.सी. उपाधि (2) वैज्ञानिक शोध का दो वर्ष का अनुभव **अथवा** बी.एस.सी. सहित राज्य अथवा क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला की रसायन विज्ञान / विष विज्ञान शाखा में कार्य का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव	

अनुसूची - चार
(नियम 14 देखिये)

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाएगी	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	पदोन्नति हेतु अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गृह (पुलिस) विभाग	1. संयुक्त संचालक	संचालक	8 वर्ष	संचालक के लिए 1. मुख्य सचिव - अध्यक्ष 2. सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर मुख्य सचिव - सदस्य 3. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव गृह विभाग - सदस्य 4. विभाग का उपसचिव - समन्वयक	संयुक्त संचालक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं वैज्ञानिक अधिकारी को कम से कम तीन वर्ष का इसी पद का राज्य अथवा क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में विश्लेषणात्मक परीक्षण कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। संयुक्त संचालक के पद हेतु समस्त संभागों के वरिष्ठवैज्ञानिक अधिकारियों को ज्येष्ठता के अनुसार समान रूप से विचारण क्षेत्र में लिया जावेगा।
	2. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	संयुक्त संचालक	5 वर्ष	अन्य राजपत्रित पदो के लिए - 1. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का सदस्य - अध्यक्ष. 2. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव गृह विभाग - सदस्य 3. पुलिस महानिदेशक - सदस्य 4. संचालक, न्यायलयिक विज्ञान प्रयोगशाला - सदस्य	
	3. वैज्ञानिक अधिकारी जीव/भौतिकी/रसायन विज्ञान	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जीव/भौतिकी/रसायन विज्ञान	5 वर्ष		
	4. प्रयोगशाला तकनीशियन	वैज्ञानिक अधिकारी जीव / भौतिकी/रसायन विज्ञान	8 वर्ष बी.एस.सी. उत्तीर्ण		
	5. प्रयोगशाला तकनीशियन	वैज्ञानिक अधिकारी प्रदर्श/भंडार/पुस्तकालय/फोटोग्राफी	8 वर्ष उ.मा. परीक्षा उत्तीर्ण		

Raipur, the 23rd May 2006

NOTIFICATION

No. F 3-158/04/Home-2.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh Forensic Science Laboratory (Gazetted) Service, namely :—

RULES

1. Short title and commencement: - (1) These rules may be called the Chhattisgarh Forensic Science Laboratory (Gazetted), Service Recruitment Rules, 2006

(2) It shall come into force from the date of its publication in the "Official Gazette".

2. Definitions: - In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government.

(b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission.

(c) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11of these rules.

(d) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

(e) "Schedule Castes" means the Caste as specified in relation to this state under Article 341 of the Constitution of India.

(f) "Scheduled Tribe" means the Schedule Tribe as specified in relation to this state under Article 342 of the constitution of India.

(g) "Service" means the Chhattisgarh Forensic Science Laboratory (Gazetted) Service.

(h) "Other Backward Classes" means Other Backward Classes declared by the State Government from time to time by Notification

(i) "Government" means the Government of Chhattisgarh

(j) "State" means the State of Chhattisgarh

(k) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh

3. Scope and application:-Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of services) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the service:- The service shall consist of the following persons,

namely :-

(1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity, the posts specified in schedule -I;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification scales of pay, etc, :- The classification of the service, the number of posts included in the service, the scale of pay attached thereto, shall be accordance with the provisions contained in the Schedule- I

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment:- (1) Recruitment to the Service after the commencement of these rules shall be by the following methods, namely :-

(a) direct recruitment by competitive examination or interview or both;

(b) by promotion of member of the services;

(c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited in under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule(1)if in opinion of the Government the exigencies of the service so require, the government, may with prior concurrence of the General Administration department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment, the provisions of Chhatisgarh Public Service (Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Class reservation) Act 1994 and directions issued by General Administration department of Government from time to time, shall also be effective.

7. Appointment to the service:- All appointments to the service after the commencement of these Rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except through selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment candidate: – In order to be eligible for

selection a candidate must satisfy the following conditions namely-

(1) **Age**- (a) He must have attained the age specified in column (4) of Schedule III and not attained the age specified in column (5) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a scheduled caste or a Schedule Tribe;

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhatisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below: -

(i) A candidate who is a government servant should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and project implementation committee employees.

(iii) A candidate who is retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation: The term "retrenched Government Servant" denoted who was in temporary government service of this state or of any of the constituent Units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction of establishment not more than three years of prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in government service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation: The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the government of India for a continuous period of not less than six months and was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in government service:

(1) Ex-service man released under mustering out concessions.

(2) Ex-service man enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of enrolment.

(3) Ex personnel of Madras Civil Unit.

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers).

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(6) Ex-serviceman invalid out or service.

(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(d) The upper age limit shall be 35 years in respect of widow, destitute and divorced women candidates.

(e) The upper age limit shall also be relax able up to 2 (Two) years in respect of

Green card Holder candidates under the Family Welfare Programme.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 5 (Five) years in respect of awarded superior caste partner of a Couple under the Inter-Caste Marriage incentive scheme of the Schedule Caste, Schedule Tribe and Backward Classes Welfare Department.

(g) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 (Five) years in respect of "Vikram Award" holder candidate.

(h) The upper age limit in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh state corporations/board shall of 38 years.

(i) The upper age limit shall be relax able in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 (Eight) years but in no case their age should exceed 38 years.

Note:- Candidates who are admitted to the examinations selection under the age concessions mentioned in rule 8(c) (i) and (ii) and (h) and above will not be eligible for appointment of after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case will these age limits be relaxed. Department candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the examination / selection.

(j) In addition to above, the instructions issued from time to time by General Administrative Department regarding age limit will be applicable.

(2) **Educational Qualification:** He must possess the educational qualification prescribed for the service as shown in Schedule III.

(3) **Fees:** He must pay the fees prescribed by the Commission.

9. **Disqualification:-** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for admission to the examination/ selection.

10. **Commission's decision about the eligibility of candidate final:-** The decision of the commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to he

examination/selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be admitted to the examination / interview.

11. (A) Direct recruitment by competitive examination:- (1) A competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the government may, in consultation with the Commission from time to time determine.

(2) The examination shall be conducted by the Commission in accordance with such order as the Government may from time to time issue in consultation with commission

(3) 16 percent, 28 percent and 14 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the schedule castes, scheduled tribes and other backward classes respectively.

(4) In filling the vacancies of reserved candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to he scheduled Castes or the Scheduled tribes considered by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the scheduled castes or the scheduled tribes as the case may be under sub-rule(3).

(6) In case of direct selection, if the candidates of the schedule tribe and schedule caste not having the required experience are not available to fill the vacancy in said period and the commission found that such candidates will not be available, then in such cases the commission or competent authority can relax the conditions of the experience.

11. (B) By interview:- (1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the appointing authority may in consultation with the commission from time to time determine.

(2) The selection of the candidates for the service shall be made by the commission after interviewing them.

(3) 16 percent, 28 percent and 14 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are the members of Scheduled

Castes, Schedule Tribes and other backward class respectively.

(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes or Scheduled tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their rank as compared with other.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes selected by the Commission for appointment in the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed on the vacancies reserved for the candidates of the scheduled castes and scheduled tribes as the case may be, under sub-rule (3).

(6) In case of direct selection, if the candidates of the schedule tribe and schedule caste not having the required experience are not available to fill the vacancy in said period and the commission found that such candidates will not be available, then in such cases the commission or competent authority can relax the conditions of the experience.

12. List of candidates recommended by Commission:-(1) The Commission shall forward to the government a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standard as the Commission may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe who though not qualified by that standard are declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil services (General conditions of service) rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the government is satisfied after such enquiry as may be considered necessary for appointment to the service.

(4) The select list will be valid for a period of one year from the date of its issue, by the Commission. The Commission may extend this period, on the request of the government.

13. Appointment by promotion:- (1) There shall be constituted a committee consisting

of the members mentioned in Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates. Atleast one member of Schedule Caste or Schedule Tribe shall be included, if not a member of Schedule Caste/Schedule Tribe shall be included and number of the members shall be increased to the limit.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Chhatisgarh Public Service Commission (promotion) rules 2003 shall be applicable

(4) For promotion reserved vacancies shall be filled following the clauses described in sub-rule (3) and the orders issued by the General Administration Department from time to time.

14. Conditions of eligibility for promotions:- (1) Subject to the provisions of sub-rule(2) the committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts from which promotions is to be made as specified in column (4) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation: Manner of computation for eligibility for promotion-period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which departmental promotion committee/screening committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeding cadre/part of the service/pay scale the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) (a) The number of officers/staff, considered to be included in the selection list to be filled in the by selection from zone of consideration under merit cum seniority, shall be 5,8 and 10 for 1, 2, and 3 vacant posts respectively and likewise formula for further calculation shall be to double the expected vacancies and add 4 to it.

(b) If public servant of schedule caste or schedule tribe are not available in sufficient numbers under zone of consideration according to above, the zone of consideration shall be extend seven times the number of vacancies and the name of schedule caste or schedule tribe public servant coming under this extended zone of consideration shall be considered for filling up reserved posts.

(c) In addition to the anticipated vacancies under sub rule 2(a) in view of inclusion in the select list of names of two public servants or 25 percent of the number of the public servants included in select list whichever is more, the names of the required number of the public servants who are in the zone of consideration shall be considered for each category to fill up the unforeseen vacancies occurring

during the course of the aforesaid period.

(d) Standards to prepare selection list of persons for promotion from class I post to class I post shall be merit cum seniority and standards to prepare selection list of persons for promotion from class III post to class class II post, class II to class II post and class II post to class I shall be seniority subject to fitness.

(3) (a) In the cases where promotions to be held either on seniority cum fitness or on seniority leaving the unsuitable person , there shall be no zone of consideration. Only that number of Government servant shall be considered according to seniority, which, in each cadre is sufficient to fill the posts available or expected to be vacant due to retirement during one year.

(b) In addition to the anticipated vacancies as prescribed in sub rule 3 (a), with a view of inclusion, in the select list whichever in more, the names of the required number of the public servant shall be considered for each category to fill up the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(4) Promotion shall be done according to reservation roster prescribed for promotion by Government.

(5) In the matter of promotion, the provisions of Chhattisgarh Public Service (promotion) Rules 2003 shall be applicable.

(6) If suitable candidate for promotion for the post of Director is not available then the post of Director will be filled in by deputation from the officers of other departments possessing the following qualifications-

(a) M. Sc. in Chemistry/ Physics/ Zoology or Forensic Science from recognized university or equivalent institutions and Ph. D in one of the above subjects.

(b) Training in Modern methods of analysis.

(c) About 15 years experience of working in Forensic Science Laboratory and possesses research ability in one of the above subjects as evidenced by published research papers / books.

Desirable: Experience of working in Forensic Science Laboratory.

15. Preparation of list of suitable officials:- (1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and as are held by the committee to be suitable for promotion/ transfer to the service. The list shall

be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the selected list. A reserve list consisting of twenty five percent of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The list of suitable officers shall be prepared according to the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If any in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the civil service, the committee shall record its reason for the proposed super session.

16. Consultation with the Commission- The recommendation of the Department promotion Committee presided over by the Chairman or a Member of the Commission shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and separate consultation with the Commission shall not be necessary.

17. Select List- (1) The commission shall consider the list prepared by the committee along with other documents received from the committee and, unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the commission considers it necessary to make any change in the list received from the government, the commission shall inform the Government for the changes proposed and, after taking into the account the comments, if any, of the government may approve the list finally with such modification, if any, as may in its opinion be justified and proper.

(3) The list as finally approved by the commission shall form the Select list for promotion of the members of service to the posts mentioned in column 4 of schedule 4 from the posts as mentioned in column (2) of schedule 4.

(4) The select list shall ordinarily be in form until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (3) of rule 15, but validity of the list shall not be extended beyond 18 months from the date of its preparation.

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the selected list may be made at the instance of the Government and the commission may if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18. Appointment to the service from the select list:- (1) Appointment of the officers included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such officers appear in the select list :

Provided that, where administrative exigencies so required, a person whose name is not included in the select list or who is not next in the order in the select list may be appointed to the service in the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list, to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposal appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. Probation: - Every person directly recruited in the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. Interpretation: - If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

21. Relaxation :- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

22. Saving:- Nothing in these rules shall effect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

23. Repeal and saving :– Madhya Pradesh Forensic Science Laboratory (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1993, (vide Notification No. 2(A)-201-82-B-(4) II dated

19[th] November ,1993 in relation to its extent in the State of Chhattisgarh and all other rules and resolution enforced immediately before their commencement of these rules are hereby repeated in respect of matters covered by this rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these Rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. K. S. RAY, Additional Chief Secretary.

Schedule-I
(See Rule 4 and 5)

Chhattisgarh Forensic Science Laboratory, (Gazetted) Service recruitment rules

S.No.	Name of the post included in the service	No. of posts	Classification	Scale of pay	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Director	01	Class I	14300-400-18300	
2.	Joint Director	02	Class I	12000-375-16500	
3.	Senior Scientific Officer (Biology, Physics,Chemistry)	04	Class I	10000-325-15200	
4.	Scientific Officer(Biology, Physics,Chemistry,Training, Store, Library, Photography)	12	Class II	8000-275-13500	

Schedule-II
(See Rule-6)

Name of Department	Name of Service	Total No. of Duty Post	Percentage of number of duty post to be filled			Remarks
			By Direct Recruitment vide rule 6(a)	By promotion of member of the service vide rule 6(b)	By transfer of person from other service vide rule 6(b)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Home (Police) Department	Chhattisgarh Forensic Science Laboratory (Gazetted) Service	1. Director-1	-	100 %	The post will be filled by deputation from other deptt.,if the DPC does not find any Departmental Officer fit for promotion	• Direct recruitment will be made by selection. • For the promotion to the post of Joint Director and SSO (Biology, Physics and Chemistry) at least three years analytical working experience of the same post in State/Regional Forensic Science Laboratory is essential. • Senior Scientific Officers of all the divisions will be taken in the zone of consideration equally as per seniority for the promotion to the post of Joint Director.
		2. Joint Ditector-2	-	100 %	-	
		3. Senior Scientific Officer-4	50%	50%	-	
		4. Scientific Officer-12	90%	10%	-	

Schedule-III

(See Rule-8)

Age & Qualification of persons to be recruited directly

Name of Department	Name of Service	Name of Post	Minimum age limit	Upper age limit	Educational Qualification prescribed	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Home (Police) Department	Chhattisgarh Forensic Science Laboratory (Gazetted) Service	Sr. Scientific Officer (Biology)	25 years	38 years	**Essential**- Minimum second class M.Sc. degree in Zoology, Botany, Bio-Chemistry, Microbiology, Physical Anthropology or Forensic Science (with specialization in Forensic Biology) from any recognized University or equivalent institution. **Experience**- 5 years experience of working in Forensic Science or any other similar laboratory. **Desirable**- (1) Possesses research ability in one of the above subjects which is evidenced by published research paper/books. (2) Ph.D. in one of the above subjects.	
		Sr. Scientific Officer (Chemistry)	25 years	38 years	**Essential**- Minimum second class M.Sc. degree in Chemistry or Forensic Science (with specialization in Forensic Chemistry or Toxicology) from any recognized University or equivalent institution. **Experience**- 5 years experience of working in Forensic Science or any other similar laboratory. **Desirable**- (1) Possesses research ability in one of the above subjects which is evidenced by published research paper/books. (2) Ph.D. in one of the above subjects	

		Sr. Scientific Officer (Physics).	25 years	38 years	**Essential**- Minimum second class M.Sc. degree in Physics, Electronics or Forensic Science (with specialization in Forensic Physics or Forensic Ballistics) from any recognized University or equivalent institution. **Experience**- 5 years experience of working in Forensic Science or any other similar laboratory. **Desirable**- (1) Possesses research ability in one of the above subjects which is evidenced by published research paper/books. (2) Ph.D. in one of the above subjects	
		Scientific Officer (Biology).	21 years	33 years	**Biology Branch:** (1) **Essential**- M.Sc. II Class in Botany or Zoology, Biotechnology, Biochemistry, Microbiology or Forensic Science(with specialization in Forensic Biology / Forensic Serology). (2) Two year experience of scientific research. or B.Sc. with working experience of at least 5 years in biology division of any forensic science laboratory	
		Scientific Officer (Physics).	21 years	33 years	**Physical Branch:** (1) **Essential**- M.Sc. II Class in Physics or, Forensic Science(with specialization in Forensic Physics / Forensic Ballistics) and should have Physics and Chemistry as subjects in B.Sc. (2) Two year experience of scientific research. or B.Sc. with working experience of at least 5 years in physics/ballistics division of any forensic science laboratory.	

		Scientific Offi[illegible] (Chemistry).	21 years	33 years.	**Chemistry Branch:** (1) **Essential-** M.Sc. II Class in Chemistry or Forensic Science (with specialization in Forensic Toxicology / Forensic Chemistry). (2) Two year experience of scientific research or B.Sc. with working experience of at least 5 years in chemistry/toxicology division of any forensic science laboratory.	

Schedule-IV

(See Rule-14)

Name of Department	Name of service or post from which promotion is to made	Name of service or post to which promotion is to made	Experience for promotion	Names of members of the Departmental promotion committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Home (Police) Department	1. Joint Director	Director	8 years	For Director: 1. Chief Secretary- Chairman 2. Addl. Chief Secretary nominated by Government- Member 3. Addl. Chief Secretary, Home Department - Member 4. Deputy Secretary of the Department- Coordinator	•For the promotion to the post of Joint Director and SSO, Senior Scientific Officer and Scientific Officer should posses at least three years analytical working experience of the same post in State/Regional Forensic Science Laboratory is essential. • Senior Scientific Officers of all the divisions will be taken into the zone of consideration equally as per seniority for the promotion to the post of Joint Director.
	2. Senior Scientific Officer (Biology /Physics/ Chemistry)	Joint Director	5 years	For other Gazetted posts: 1. Chairman of Chhattisgarh Public Service Commission or a member nominated by him- Chairman 2. Addl. Chief Secretary, Home Department - Member 3. Director General Police-Member 4. Director, Forensic Science Laboratory- Member	
	3. Scientific Officer (Biology/Physics/ Chemistry)	Sr. Scientific Officer (Biology/Physics/ Chemistry)	5 years		
	4. Laboratory Technician	Scientific Officer (Biology/Physics/ Chemistry)	8 years, B.Sc. Pass		
	5. Laboratory Technician	Scientific Officer (Training, Store, Library, Photography	8 years, Higher Secondary Pass		

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.